State Health Society, Bihar
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार
परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना - 800014
Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna-800014
Phone : 0612-3259447, 3259448, 2290321, 2290322, 2290328, 2290340
website : www.shsbihar.org, E-mail : info@shsbihar.org

बिहार सरकार

NATIONAL RURAL HEALTH MISSION
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
(2005-2012)

संजय कुमार, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक

संचिका सं०:. SHSB/SPM/73/09
पत्रांक सं०: 18867 दिनांकः 03 / 08 / 10

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष
जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार

सभी सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार

विषयः प्रखंड स्तरीय कार्य योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2010–11 में राशि के आवंटन के संबंध में।

प्रसंगः राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार का कार्यालय पत्रांक 18281 दिनांक 08.07.2010,

महाशय/महाशया,

प्रासंगिक पत्र के आलोक में जिला स्वास्थ्य समिति ने राज्य स्तर पर संकलित एवं जिले के द्वारा अनुमोदित जिले के वार्षिक व्यय सीमा को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं अन्य स्वास्थ्य इकाईयों के पदाधिकारियों के सहयोग से स्वास्थ्य इकाईयों के लिए पुनः प्रखण्ड स्तरीय वार्षिक व्यय सीमा के अनुरूप आवंटित किया हैं तथा आवंटित राशि को जिला स्तरीय सक्षम पदाधिकारी से अनुमोदित करवाकर राज्य स्वास्थ्य समिति को प्रेषित किया है। इस आधार पर राज्य स्वास्थ्य समिति, मदवार त्रैमासिक बजट को संकलित कर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं अन्य स्वास्थ्य इकाईयों को इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रतर कार्रवाई हेतु प्रेषित कर रही है।

प्रेषित पत्र के साथ प्रत्येक जिले के लिए आवंटित राशि को अनुलग्नित कर सम्बन्धित जिलों को प्रेषित किया जा रहा है। जिसे राज्य स्वास्थ्य समिति के बेव पोर्टल www.statehealthsocietybihar.org से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार ने जिले के सहयोग से पहली बार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रवार राशि आवंटन कर रही है। इसलिए प्रखण्डवार व्यय–सीमा के उपयोग के लिए विस्तृत दिशा–निर्देश की आवश्यकता है जो कि निम्नवत् है–

1. जिस प्रकार राज्य स्वास्थ्य समिति मूल कर्णाकिंत मद में ही जिलों को राशि का हस्तारान्तरण कोर बैंकिंग के माध्यम से हस्तानान्तरित कर रही है उसी प्रकार जिले भी राशि का हस्तानान्तरण विभिन्न इकाईयों को मूल कर्णाकिंत मद में ही राशि हस्तानान्तरित करेगें।
2. जिला स्वास्थ्य समिति मूल कर्णाकिंत मद के अन्तर्गत 80 प्रतिशत की व्यय–विवरणी विहित प्रपत्र में प्राप्त हो जाने के उपरान्त 24 घंटे के अन्दर पत्र संख्या 18281 दिनांक 8.7.2010 में उल्लेखित सिद्धान्तों के आधार पर संबंधित स्वास्थ्य इकाईयों को राशि हस्तानान्तरित करेगी।

State Health Society, Bihar
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार
परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना - 800014
Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna-800014
Phone : 0612-3259447, 3259448, 2290321, 2290322, 2290328, 2290340
website : www.shsbihar.org, E-mail : info@shsbihar.org

बिहार सरकार

NATIONAL RURAL HEALTH MISSION
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
(2005-2012)

3. किसी भी परिस्थिति में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं अन्य इकाईयों में राशि का अभाव मान्य नही होगा। यदि किसी भी स्वास्थ्य इकाई में राशि के अभाव के कारण किसी का भुगतान नही होता है तो इसकी जबावदेही सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाई के प्रभारी की होगी, क्योंकि उन्होंने ससमय व्यय प्रतिवेदन जिला स्वास्थ्य समिति को प्रेषित नही किया होगा। यदि व्यय प्रतिवेदन ससमय जिले को प्रेषित करने के पश्चात् भी सम्बन्धित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को राशि आवंटित नही की गई है तो इसकी जबावदेही सिविल सर्जन, जिला कार्यक्रम प्रबंधक एवं जिला लेखा प्रबंधक की संयुक्त रूप से होगी।

4. कम्प्युटरीकृत मॉनिटरिंग हेतु पत्र के साथ अनुलग्नित मदवार राशि को टैली सॉफ्टवेयर में संकलित किया जायेगा, जिसकी मॉनिटरिंग राज्य स्तर से भी की जायेगी। यदि किसी भी प्रकार का विचलन अनुलग्नित व्यय–सीमा के आलोक में टैली सॉफ्टवेयर में अवलोकित की जाती है तो जिला लेखा प्रबंधक पत्र के माध्यम से राज्य स्वास्थ्य समिति को इसके कारणों को प्रतिवेदित कर देगें। यदि राज्य स्वास्थ्य समिति से इसकी जानकारी प्राप्त होती है तो जिला लेखा प्रबंधक से इससे सबंधित कारण पृच्छा की जायेगी। राज्य स्वास्थ्य समिति में भी संदर्भ के लिए जिलों को इस पत्र के माध्यम से प्रेषित विभिन्न स्वास्थ्य इकाईयों के लिए बजट की वार्षिक व्यय सीमा की एक प्रति संरक्षित की गयी है जो कि संदर्भ पुस्तिका के रूप में कार्य करेगी।

5. प्रखण्ड लेखापाल की यह जबावदेही होगी कि प्रखण्डों की व्यय विवरणी टैली पर भी लगातार अद्यतन करेगें (यह कार्य स्वास्थ्य इकाईयों में टैली सॉफ्टवेयर कार्यरत होने के पश्चात प्रारम्भ किया जायेगा)। विशेषरूप से ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति तथा स्वास्थ्य उपकेन्द्र के अनटाईड फंड के अग्रिम की समीक्षा प्रत्येक मंगलवार की साप्ताहिक बैठक में ए0एन0एम0 के साथ अवश्य करेगें। इसके समायोजन में आनेवाली समस्याओं पर स्वयं ए0एन0एम0 को प्रशिक्षित भी करेगें। उनके द्वारा व्यय किये जा रहे राशि को समायोजित करने में सहयोग प्रदान करेंगें।

6. सन्दर्भित पत्र में जिस प्रकार जिले के स्तर पर एफ0एम0आर0 तथा एड्वांस एजिंग के अनुसार बजट के व्यय की समीक्षा करने का प्रावधान किया गया है उसी प्रकार प्रत्येक स्वास्थ्य इकाईयों पर भी इसकी समीक्षा की जायेगी तथा समीक्षोपरान्त लिये गये निर्णयों एवं कृत कार्यवाही से सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाईयों के प्रभारी पदाधिकारी सबंधित जिले के सिविल सर्जन को लिखित अवगत करवायेंगें।

ससमय राशि की उपलब्धता एवं स्वास्थ्य वित्तीय प्रबन्धन से राज्य के मातृ–मृत्यु दर एवं शिश मृत्यु–दर को कम करने में एक अहम् प्रयास किया जा सकता है, जो कि अन्ततः स्वस्थ्य एवं समृद्ध बिहार को बनाने में हम सभी के प्रयास को सम्बल प्रदान करेगा।

स्वस्थ बिहार के लिये।

विश्वासभाजन,

(संजय कुमार)

प्रतिलिपि:

1. सभी जिला कार्यक्रम प्रबधंक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. डाटा ऑफिसर–सह–सिस्टम एनालिस्ट, रा0स्वा0समिति0बिहार को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।